अनुदान संख्या 94 – चंडीगढ़
GRANT No. 94–CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*23,57,00*				
				24,72,00	*24,69,92*	*–2,08*
पूरक	*Supplementary*	*1,15,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	858,42,00				
				858,43,00	847,41,93	–11,01,07
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,45,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*10,00,00*	*9,99,98*	*–2*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	154,46,00				
				156,63,00	154,54,01	–2,08,99
पूरक	Supplementary	2,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
क- गृह मंत्रालय	**A– Ministry of Home Affairs**					
मुख्य शीर्ष "2055''	Major Head "2055"					
पुलिस	Police					
मू.	O.	6193.00		6504.96	6492.33	–12.63
पु.	R.	311.96				
ञ- स्वास्थ्य विभाग	**J– Department of Health**					
मुख्य शीर्ष "2210''	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	7062.00		6690.53	6687.81	–2.72
पु.	R.	–371.47				
ट-शिक्षा विभाग	**K– Department of Education**					
मुख्य शीर्ष "2202''	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	13365.00		12585.97	12538.73	–47.24
पु.	R.	–779.03				
द-भूतल परिवहन मंत्रालय	**R– Ministry of Surface Transport**					
मुख्य शीर्ष "3055''	Major Head "3055"					
सड़क परिवहन	Road Transport					
मू.	O.	6770.00		6747.30	6730.68	–16.62
पु.	R.	–22.70				
ध- पर्यटन विभाग	**S– Department of Tourism**					
मुख्य शीर्ष "3452''	Major Head "3452"					
पर्यटन	Tourism					
मू.	O.	71.00		154.00	153.91	–0.09
पु.	R.	83.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
न- शहरी विकास मंत्रालय	**T– Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Work				
मू.	O.	5473.00	4895.01	4858.87	–36.14
पु.	R.	–577.99			
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	10443.00	10698.58	10698.44	–0.14
पु.	R.	255.58			

(I) 16.65 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज" के अंतर्गत 392.03 लाख रु. की बचत (4312.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, मार्च, 2004 माह के लिए जल, विद्युत तथा टेलीफोन बिलों के प्राप्त न होने और प्रशासनिक कारणों की वजह से संविदाकार को बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़" के अंतर्गत 899.14 लाख रु. की बचत (3570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप घाटे में आई कमी के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3055" - "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - मरम्मत और अनुरक्षण" के अंतर्गत 160.20 लाख रु. की

(I) Provision of Rs.16.65 lakhs remained wholly unutilised under ten heads.

(II) Under Major Head "2210" "Medical Education, Training and Research Allopathy-Government Medical College"-saving of Rs. 392.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 4312.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipts of water, electricity and telephone bills for the month of March, 2004 and non-payment of bills to contractor owing to administrative reasons.

(III) Under Major Head "2202"- "University and Higher Education- Assistance to Universities-Punjab University, Chandigarh" - saving of Rs. 899.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3570.00 lakhs) was due to improvement in financial position of Punjab University resulting in reduction of deficit.

(IV) Under Major Head "3055"-"Chandigarh Transport Undertaking - Repairs and Maintenance" - saving of Rs.160.20 lakhs

बचत (1190.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.1190.30 lakhs).

(V) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - उचंत - स्टाक" के अंतर्गत 548.29 लाख रु. की बचत (1425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "2059"-"General - Suspense- Stock"- saving of Rs.548.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1425.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less purchase of materials.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 284.73 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of Rs. 284.73 lakhs occured, each exceeding Rs. 50.00 lakhs but not exceeding Rs. 100.00 lakhs and constituting 16 percent to 44 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (811.52 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2004 में अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs. 811.52 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure II to Supplementary Demands of Grants of February, 2004 under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - चंडीगढ़"- 224.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 212.32 लाख रु. था।

(A) Major Head "2055"- "District Police - Chandigarh" - Rs. 224.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.212.32 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" - "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम- प्रचालन" - 227.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 210.80 लाख रु. था।

(B) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking- Operation" - Rs. 227.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.210.80 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - संवर्धन तथा प्रचार - खाद्य शिल्प संस्थान का विकास" - 82.00 लाख रु.।

(C) Major Head "3452"- " General-Promotion and Publicity- Development of Food Craft Institute" - Rs. 82.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - चंडीगढ़ नगर निगम" - 277.68 लाख रु.।

(D) Major Head "2217"-"General-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Board etc.- Municipal Corporation, Chandigarh" – Rs. 277.68 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2202" - "माध्यमिक शिक्षा- राजकीय माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 129.37 लाख रु. का अधिक व्यय (2392.15 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नव नियुक्त स्टाफ को वेतन की अदायगी किए जाने, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अदायगी किए

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2202"- "Secondary Education-Government Secondary Schools- Secondary Schools"- excess of Rs.129.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2392.15 lakhs) was due to payment of salary to newly appointed staff, payment of enhanced dearness

जाने और जल एवं विद्युत के लंबित बिलों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

allowance and clearance of pending water and electricity bills.

(III) चार शीर्षो के अंतर्गत 233.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक था।

(III) Under four heads excess of Rs.233.74 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 14 percent to 32 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (208.99 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 217.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 96 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs. 208.99 lakhs) constituted 96 percent of the supplementary grant of Rs. 217.00 lakhs obtained in February, 2004 and 1 percent of total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
घ- विद्युत मंत्रालय	**D– Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2860.00	2410.00	2381.44	–28.56
पु.	R.	–450.00			
च- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**F– Ministry of Environment and Forests**				
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	241.00	47.00	47.00	. .
पु.	R.	–194.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ञ- स्वास्थ्य विभाग	**J– Department of Health**				
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	813.00	1117.97	1117.95	–0.02
पु.	R.	304.97			
द- भूतल परिवहन मंत्रालय	**R– Ministry of Surface Transport**				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	60.00	160.00	159.99	–0.01
पु.	R.	100.00			
न- शहरी विकास मंत्रालय	**T– Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	9017.00	9491.78	9478.76	–13.02
पू.	S.	217.00			
पु.	R.	257.78			

(I) 55.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.55.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "संचरण तथा वितरण - उचंत - स्टाक" के अंतर्गत 478.56 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4801"- "Transmission and Distribution - Suspense - Stock" - saving of Rs. 478.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 900.00 lakhs) was due to less purchase of material.

(III) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण - भूमि का अर्जन" के अंतर्गत 194.00

(III) Under Major Head "4406" - "Forestry - Forest Conservation, Development and Regeneration - Acquisition of Land" - saving of

लाख रु. की बचत (241.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धीमी अर्जन प्रक्रिया को देखते हुए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 212.80 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (684.61 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध-II द्वारा फरवरी, 2004 में 217.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "4210" - "चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/ 500 बिस्तरों वाला द्वितीय सामान्य अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़"- 285.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला तथा अन्य सड़कें - अन्य व्यय - संबद्ध सड़कों का निर्माण"- 100.00 लाख रु। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.99 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "4217" - "राज्य की राजधानी का विकास - भूमि - अर्जन"- 299.61 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 286.97 लाख रु. था।

(II) चार शीर्षों के अंतर्गत 271.67 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक था।

Rs.194.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 241.00 lakhs) was due to less requirement of funds in view of slow acquisition process.

(IV) Under three heads savings of Rs. 212.80 lakhs occurred, each exceeding Rs. 50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs constituting 53 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs. 684.61 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs. 217.00 lakhs in February, 2004 and vide Annexure II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" - "Medical Education Training and Research - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital, Sector 32, Chandigarh" - Rs.285.00 lakhs.

(B) Major Head "5054" - "District and other Roads - Other Expenditure - Construction of Link Roads" - Rs. 100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs. 99.99 lakhs.

(C) Major Head "4217" - "State Capital Development - Land- Acquisition"- Rs.299.61 lakhs. Actual excess, however, was Rs.286.97 lakhs.

(II) Under four heads excess of Rs.271.67 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 37 percent to 98 percent of the sanctioned provision.